

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

सम्पादक : मगनभाभी प्रभुदास देसाबी

भाग १७

अंक २९

मुद्रक और प्रकाशक
जीवनजी डाह्याभाभी देसाबी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १९ सितम्बर, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शिं० १४

शिक्षा और सेवा

बड़ोदाके ओक भाभी 'हरिजन' के ग्राहक हैं। वे व्यवस्थापकको अंग्रेजीमें ओक लम्बा पत्र लिखकर बताते हैं कि वे 'हरिजन' के ग्राहक नहीं बने रहना चाहते। अिसके कारणकी भी वे अपने पत्रमें चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि स्वर्गीय किशोरलालभाभीके बाद पत्रका बल घटा है, अुसमें मौलिक समालोचनाका गुण देखनेको नहीं मिलता — वगरा। पत्रलेखककी अिस शिकायतके बारेमें मुझे कुछ कहना नहीं है। मैंने जब यह काम अपने सिर लिया था, तभी अपनी वृत्ति बता दी थी कि कहां बापू, महादेवभाभी और किशोरलालभाभी जैसे पूर्वार्थी और कहां मैं? लेकिन मेरे लिये यह काम कर्तव्यरूप है। अपनी शक्ति और समझके अनुसार मैं परमेश्वरके नाम पर अिस कर्तव्यको पूरा करनेका प्रयत्न करता हूँ। यह भी कह दूँ कि अिन भाभीकी शिकायत जैसी कम ही शिकायतें मेरे पास आई हैं। देश-विदेशके अनेक लोगोंने अिसके बारेमें संतोष प्रकट किया है और कहा है कि हमें 'हरिजन' पत्र पहले जैसे ही काम देते हैं। लेकिन मेरे अिस कथनको कोआई बचाव या आत्मशलाधाके रूपमें न मानें। मेरे कहनेका अर्थ अितना ही है कि हरअोककी अपनी-अपनी राय हो सकती है।

पाठक जानते हैं कि ये पत्र केवल कुछ लिखनेके लिये नहीं चलाये गये या चलाये जाते हैं। अुनके द्वारा देशके कार्य करनेका ध्येय हमेशा सामने रहा है। और वे कार्य रचनात्मक कार्य हैं, जो देशके पुर्णानिमाण और सच्चे स्वराज्यकी स्थापनाके लिये जरूरी हैं।

पाठक पूछेंगे कि वे कार्य कौनसे हैं? जगतकी शांति और मानवकी आत्माका विकास अुन कार्योंकी नींव है। अुसका अुपाय सत्य और अर्हिसात्मक होना चाहिये। ओक तरहसे कहें तो ये काम जैसे हैं, जिन्हें सब कोआई जानते हैं। अुस अुस समय गांधीजीने ये कार्य हमारे सामने रखे थे। फिर भी अुनमें नवीनता है और वह यह कि आजके जड़भूलसे बदले हुओ स्वतंत्रताके युगमें वे कार्य ओक अलग ही स्वरूप और भाव ग्रहण करते हैं। अुनसे संबंध रखनेवाली दलीलों और अुनके प्रयोजनोंकी नये रूपमें और नये संयोगोंमें फिरसे जांच की जानी चाहिये। अुनमें सुधार करने, घटाने-बढ़ाने या नये सिरेसे कुछ जोड़नेकी भी जरूरत हो सकती है। फिर भी थोड़ेमें अुनका सार यह है कि गांधीजीने हमें जो बातें सिखाए हैं, अुन्हें अब हमें अपने विचारबलसे अपनाकर खुद ही — गांधीजीने कही हैं अिसलिये नहीं, बल्कि अिसलिये कि हम अुनकी जरूरत आज महसूस करते हैं — कारगर बनाना होगा। 'हरिजन' पत्र आज नये युगमें अूपरके काम करनेके लिये ही चलते हैं। अिसी कारणसे नवजीवन ट्रस्ट धाटा बुठाकर भी अुन्हें चला रहा है। हालांकि धाटा अठार्जीकी भी ओक हद तो होती ही है।

यह घाटेकी बात आओ तो मुझे यहां अितना और कह देना चाहिये कि तीनों 'हरिजन' पत्र मिलकर भी आज अपना पूरा खर्च नहीं निकाल पाते। अुनके ग्राहक घटते जाते हैं। लेकिन यहां अुसकी तफसीलमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ कि समय आने पर व्यवस्थापक अुसकी विस्तृत चर्चा करेंगे।

अूपरकी बात तो मैंने पत्र-लेखककी शिकायतके संबंधमें कही है। अब मैं अुनके पत्रकी मुख्य बातों पर आता हूँ। मेरे मनमें प्रश्न अुठता है कि अुन्होंने अपना पत्र अंग्रेजीमें क्यों लिखा? वे गुजरातीमें लिख सकते हैं। अैसा करके वे अपने विचार ज्यादा अच्छे ढंगसे प्रकट कर सकते थे। अुन्होंने अूपरकी शिकायतके अलावा ओक-दो और भी विचार अपने पत्रमें बताये हैं। वे भूमिदानके बारेमें लिखते हुये कहते हैं कि वस्तुतः भूमिदानकी बात अुन्हें पसन्द है। लेकिन अुनकी आपत्ति यह है कि सारे भूमिदान शुद्ध बुद्धि और शुद्ध भावसे जमीन नहीं देते। अिसके अलावा, अुन्हें जितनी श्रद्धा श्री विनोबामें है, अुतनी भूमिदानका काम करनेवाले निचले स्तरके सेवकोंमें नहीं है। अिसलिये वे कहते हैं कि जमीनका बंटवारा करनेके लिये विनोबा तो हर जगह नहीं पहुँच सकेंगे, तब फिर अिस महत्वके कामका अखिल क्या होगा? और समग्र रूपमें अनकी बड़ी शिकायत यह है कि ग्राम-जीवनका सच्चा अध्ययन किसीने भी नहीं किया है; अुसके बिना भूरानसे या और किसी आन्दोलनसे कुछ लाभ होनेवाला नहीं है।

भूमिदानके संबंधमें अूपरकी शिकायत या शंका वैसी ही है, जैसी कि भी राबहन और दूसरे कुछ लोगोंने अुठाई थी। अुनकी चर्चा में अिस पत्रमें पहले कर चुका हूँ। अिसलिये फिर अुसे यहां नहीं दोहराना चाहता। यह तो स्वष्ट है कि सब कार्यकर्ता श्री विनोबाके जैसे नहीं हो सकते। हमारी स्वराज्यकी लड़ाकीके दिनोंमें भी अैसा कहा जाता था कि सब लोग गांधीजी जैसे नहीं हैं; नीचेके सारे सेवकोंसे सत्याग्रह नहीं चल सकता। फिर भी हमने देखा कि काम करनेकी ओक सामुदायिक रीति होती है और अुस रीतिसे समाजके काम होते आये हैं। प्राचीन कालमें सभी राम, कृष्ण या बुद्ध नहीं थे; फिर भी काम तो होता ही था। पढ़े-लिखे लोगोंमें ओक अति व्यक्तिवादी दृष्टि निर्माण हो जाती है, जिससे अुनमें बालकी खाल निकालनेकी आदत पड़ी हुयी देखनेमें आती है। यही चीज अिन भाभीके पत्रमें भी देखनेको मिलती है। अुनकी मुख्य बात तो यह है कि समग्र ग्राम-जीवनका अभ्यास हमारे यहां किसीको नहीं है। यहां मैं अुन्होंके कुछ शब्द अद्भूत करता हूँ:

"समाज-शास्त्र और मानव-विद्याके विद्यार्थीके नाते मेरा निश्चित मत है कि पं० नेहरू सहित सारे राजनीतिज्ञों और श्री विनोबा के साथ सारे समाजसेवकोंको हमारे ग्राम-जीवनका सच्चा और परिपूर्ण खपाल ही नहीं है। अुनके विचार अुनकी

राष्ट्रवादी मान्यताओं और मनपसंद कल्पित विचार-दृष्टि पर खड़े हैं। . . . यह सब ठीक नहीं है। अर्थशास्त्र जो थोड़ी-बहुत बातें सिखाता है, अुससे ज्यादा भूदानके आपरी या निचले स्तरके कार्यकर्ता भी कुछ नहीं जानते।”

श्री विनोबा या श्री जवाहरलालजीको ग्रामजीवनका खयाल नहीं है, यह कहनेकी वृष्टता केवल किताबी विद्वत्के बल पर ही कोशी कर सकता है। देशके बिन दो आजीवन सेवकोंने अपने विचार और दृष्टि अर्थशास्त्र पढ़कर नहीं प्राप्त किये, बल्कि देशकी जनताकी सेवा करते-करते प्रत्यक्ष अनुभवसे अनुहृत प्राप्त किया है। ये भावी अपने किताबी अध्ययनके बल पर जो कुछ जानने-समझनेका दावा करते हैं, अुसकी सच्ची कसौटी और कीमत तो अुस ज्ञानका अुपयोग करनेमें है। यदि वे अपने यिस ज्ञानका अुपयोग प्रत्यक्ष कार्यके जरिये भूमिदान प्रवृत्तिमें करें, या अपने मनपसंद किसी दूसरे सेवाकार्यमें करें, तो अनुहृत मालूम होगा कि सच्चा ग्रामजीवन क्या है और अुसके प्रश्न हल करनेके लिये क्या क्या किया जाना चाहिये। ऐसा देखनेमें आता है कि केवल अमुक विषयको पढ़ लेनेसे पढ़नेवालेके मनमें शास्त्रीय ज्ञानका सन्तोष-सा अनुभव होने लगता है। हमारे शिक्षित नवयुवकोंको यिस कमजोरीसे बचना चाहिये। यिसका युपाय यही है कि वे अपनी विद्याको प्रत्यक्ष कार्यकी कसौटी पर करें। पढ़नेके बाद गुननेकी आवश्यकता रहती है। यह याद रखना चाहिये कि अुस आवश्यकताकी पूर्ति जीवनके विश्वविद्यालयमें प्रत्यक्ष कार्य द्वारा अध्ययन करनेसे ही होती है।

मगनभाऊ देसाऊ

२८-८-'५३
(गुजरातीसे)

टिप्पणियां

बीड़ीका व्यसन और आरोग्य

अपर्युक्त शीर्षकसे श्री कितीन्द्रकुमार नागके बंग्रेजी लेखका गुजराती अनुवाद ता० २०-६-'५३ के 'हरिजनबंध' में प्रकाशित हुआ है।*

विषय अत्यन्त अपयोगी है; तम्बाकूके समग्र अुपयोगको ध्यानमें रखकर अुसकी बारीकीसे जांच होनी चाहिये। सूंघने, खाने और पीनेमें तम्बाकूका अुपयोग लगभग सार्वत्रिक जैसा बन गया है। चिलम, पाइप और हुक्के आदिसे तम्बाकू पीनेवाले तम्बाकूके नुकसानसे कितने अंशों तक बचते हैं? और काम करते हुये बीच-बीचमें आराम लेनेके लिये श्रमजीवी वर्ग यदि तम्बाकूका 'मजा' न ले तो क्या करे? ये और यिस तरहके दूसरे सवाल सोचने जैसे हैं।

"तम्बाकू पीनेके आदी बने हुये लोगोंका तम्बाकू छोड़ते ही बजन बढ़ने लगता है", डॉ नाग द्वारा अपने समर्थनमें दिये हुये यिस अुद्धरणकी पुष्टि अभी-अभी दो-तीन महीने पहले ही घटी हुयी नीचेकी घटनासे होती है:

राजस्थानके पाली जिलेके सुमेरपुर कस्बेके करीब पंसठ वर्षके एक व्यापारी भाजीने, जो बचपनसे बीड़ीके बड़े व्यसनी थे, एक लड़केको बीड़ी पीते हुये रोका। यिस व्यापारीके सुपुत्रने, जो बड़े भले स्वभावके नीतिभीरु, निर्वसनी और सज्जन-व्यक्ति हैं, प्राकृतिक चिकित्सामें भी विश्वास रखते हैं और जिनका करीब बयालीस वर्षका जीवन विना किसी दबाव-दारुके सुख और आरामसे बीता है, वड़ी नगरासे अपने पिताको कहा कि यह लड़का थोड़ा अच्छा मालूम होता है; कोशी दूसरा होता तो आपसे बुलटा सवाल करता कि आप क्यों पीते हैं? पुत्रकी यह सांकेतिक

* यह लेख 'हरिजनसेवक' में ता० १८-४-'५३ के अंकमें 'तन्दुस्ती पर तम्बाकू पीनेका असर' शीर्षकसे छपा है।

बात सचोट सावित हुआ। अुसी क्षणसे अुस बूढ़े व्यापारीने बीड़ी पीना छोड़ दिया। कुछ दिन तो अनुहृत थोड़ा मुश्किल मालूम हुआ। लेकिन बीड़ी छूटते ही अुनके शरीरमें परिवर्तन होने लगा। जठराग्नि सतेज हो गयी। लगभग वीस वर्षसे अुनका बजन करीब ११०-१११ पौंड ही रहता था, वह अब बढ़कर १२१-१२२ पौंड हो गया। यिससे अनुहृत अपार आनन्द और आश्चर्य होता है।

यह यिस बातका भी अुदाहरण है कि मजबूत मन वर्षोंकी बुराओंको क्षणभरमें मिटा सकता है।

गोकुलभाऊ भट्ट

दृष्टिदान

श्री सम्पादक, हरिजन

लंदनके एक अखबार 'डेली स्केच' का समाचार है कि एक ६७ वर्षके बूढ़े अंग्रेज सज्जन ४५ वर्ष तक अंधे रहनेके बाद फिर देखने लगे हैं। ४५ वर्षके बाद जब अनुहृत अचानक फिर दृष्टि प्राप्त हुयी, तो वे भगवानको धन्यवाद देते हुये बार-बार यही कहते रहे कि 'हे भगवान्, मैं कितना खुश हूँ।' अब वे बहुत साफ देख सकते हैं। अुनकी यिस दृष्टि-प्राप्तिका श्रेय लंदनके रायल हास्पिटलके आंखके डाक्टरों और अुस दयालु महिलाको है जिसने अपनी एक आंख यिस बृद्धकी सहायताके लिये दान करनेकी बीरता और अुदारता दिखायी। आंखके सर्जनने बहुत होशियारीके साथ अुसकी सहमतिसे अुसकी एक आंखका 'कार्निया' (चक्षुपटल) आंखसे अलग करके अंधेकी बायीं आंखमें जोड़ दिया। यिस आँपरेशनकी खँबी यह है कि आंखके अकृत हिस्सेको जीवितावस्थामें ही निकाला और जोड़ दिया जाता है। आपरेशनके बाद कुछ सप्ताहों तक बृद्धकी यह आंख पट्टीसे बंधी रही। फिर एक दिन पट्टी खोली गयी और ४५ वर्ष तक अंधे रहनेवाले यिस व्यक्तिने डॉक्टरों और परिचारिकाओंको देखा। अुसका यह अनुभव बहुत ही रोमांचपूर्ण था। हमारे देशके हजारों अंधोंको भी यिस घटनासे आशाका संदेश मिलता है — ऐसे आँपरेशनोंके जरिये अनुहृत दृष्टिदान दिया जा सकता है। बम्बाईमें परेलके किंग अड्डवर्ड मेमोरियल अस्पतालमें आंखके डाक्टर जीवित आंखसे कार्निया निकालकर अुसे अंधी आंखमें जोड़नेका यह आँपरेशन करते हैं। भारतके दूसरे शहरोंमें भी आंखके जैसे अस्पताल अवश्य होंगे जहाँ अंधोंको अुनकी खोयी हुयी दृष्टि यिस तरह फिर वापस दी जा सकती है। अच्छी स्वस्थ आंखोंवाली स्त्रियों और पुरुषोंको अपनी विलमें यह बात भी दाखिल करवाना चाहिये कि जब अुनकी मृत्यु हो तो अुनके रिस्तेदार तुरत्त आंखके डाक्टरको बुलाकर अुनकी मृत देहसे अुनकी आंखें निकलवा लें और अनुहृत अुद्देश्यके लिये दान कर दें।

५८, बुढ़ाबासुर-रोड,
कोलावा, बंबई-५

(अंग्रेजीसे)

कृत्रिम खाद

कुछ माह पहले एक दक्षिण भारतीय पाठकने भुजे एक पत्र लिखा था, जिसमें अनुहृत बताया था कि चावलकी खेतीकी जापानी पद्धतिमें कृत्रिम खादका अुपयोग करनेकी जरूरत होती है और यिस कारण जमीनके अुपजाबूपनकी दृष्टिसे वह लम्बी अवधिमें नुकसानदेह सावित होगी। अनुहृते भेरा ध्यान यिस विषय पर 'हरिजन' में पहले जो लेख प्रकाशित हो चुके हैं, अुनकी ओर खींचा। अुनका संकेत स्पष्ट था। वे चाहते थे कि मैं यिस विषयकी चर्चा दुबारा करूँ। मैंने अुनका यह पत्र बम्बाई प्रान्तमें जापानी पद्धतिसे चावलकी खेतीका प्रयोग करनेवाले एक केन्द्रिको भेज दिया। केन्द्रिकी ओरसे जो जवाब आया है, वह न तो संतोषप्रद

हैं और न अचित निर्णय पर पहुँचनेमें किसी तरहकी मदद ही, करता है। बादमें प्रसंगवश असी संबंधका अक और समाचार भेरे पढ़नेमें आया, जो अक दूसरे पाठक-मित्रने भेजा था:—

कोविम्बटूर, २७ अप्रैल

“सुना जाता है कि धानकी खेतीकी जापानी पद्धति हमारी परिस्थितियोंके लिये पूरी तरह अनुकूल नहीं है। वताया गया है कि यह बात ओ० सी० ओ० ओ० ओ० के अन्न और खेती संघटनके चावल-सलाहकार डॉ० रामेयाको मद्रासके खेती-विभागके कर्मचारियोंने कही है।

“डॉ० रामेयाको भारत-सरकारने देशके विभिन्न प्रान्तोंमें चावलकी खेतीकी जापानी पद्धतिके प्रयोगकी गति-विधिकी जांच करने और अस पर अपनी रिपोर्ट पेश करनेके लिये कहा था।

“कर्मचारियोंका कहना है कि जापानी पद्धतिके प्रयोगमें बड़ी मात्रामें अमोनियम सल्फेटका अपयोग करनेकी जरूरत होती है और अस पर अपनी रिपोर्ट पेश करनेके लिये कहा था।

“अतः जापानी पद्धतिमें कुछ फर्क किया जा रहा है। अमोनियम सल्फेट या नायिट्रोजन कम मात्रामें लिया जाता है और अस कम्पोस्ट या हरी खादमें मिला दिया जाता है। यह नयी पद्धति गोदावरी, कृष्णा और कावेरीके डेल्टा-क्षेत्रके चावल पैदा करनेवाले लगभग ३०००. गांवोंमें प्रदर्शित की जायगी। अिस पद्धतिके प्रयोगके लिये शुरूमें चावलकी अनु किस्मोंको चुना जायगा जिनकी फसल जल्दी आ जाती है।” (टाइम्स आफ विन्डिया न्यूज़ सविस)

विशेषज्ञ न होनेके कारण में अिस प्रश्न पर निश्चित राय नहीं दे सकता। पर कृत्रिम खादके अपयोगके बारेमें सामान्यतः अक बात में जरूर कहूँगा। अगर जापानी पद्धतिमें कृत्रिम रासायनिक खादोंकी जरूरत अनिवार्य हो, तो यह अिस पद्धतिका अक बड़ा दोष है और हमें असके खिलाफ समय रहते चेत जाना चाहिये। अिन कृत्रिम खादोंके बुरे नतीजोंके विषयमें आजकल अनेक वैज्ञानिकोंकी यही राय है कि यह वस्तु निर्दोष नहीं है। और जमीनकी परख रखनेवाले वैज्ञानिक आधुनिक जगतको अनुके खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं।

२-७-५३

(अंग्रेजीसे)

मध्यप्रदेशकी राजभाषायें

नीचेकी खबर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निकाली गयी अक प्रेस विज्ञप्तिमें से दी जा रही है:

“कुछ अपवादोंको छोड़कर राज्यके सारे कामकाजके लिये हिन्दी और मराठी मध्यप्रदेशकी राजभाषायें घोषित की गयी हैं। यह विलकुल सच है कि जब हम अक भाषाकी जगह किसी दूसरी भाषाको देते हैं, तब अनेक कठिनायियां पैदा होती हैं। लेकिन यह निश्चित है कि हम असी कारणसे अिस परिवर्तनको अनिश्चित कालके लिये स्थगित नहीं रख सकते। अिसलिये यह जरूरी है कि हम अिन कठिनायियोंको दूर करें और अपना सारा सरकारी कामकाज अपनी भाषाओंमें करना शुरू करें। अिस विज्ञप्ति पर पहली सितम्बरके अमल किया जायगा। वह कामकाजके कुछ असे वर्गोंको अिस अमलका अपवाद भानती है, जिनमें कानूनी या कुछ समयके लिये दूर न की जा सकनेवाली शासन-संबंधी कठिनायियां हैं। अिन कामोंके लिये फिलहाल अंग्रेजीका अपयोग किया जा सकता है। लेकिन सरकार अपने अधिकारियोंसे यह आशा रखती है कि वे अिन कामोंमें भी यथासंभव

राजभाषाओंका ही अपयोग करेंगे, सिवाय असे कामकाजके जो विज्ञप्तिके अनुसार अंग्रेजीमें ही होना चाहिये।

“फिर भी यह साफ कर दिया जाना चाहिये कि २६ जनवरी, १९५४ के बाद सारा सरकारी कामकाज जहां तक हो सकेगा राजभाषाओंमें ही किया जायगा, सिवाय अनु विषयोंके जिनमें कानूनके अनुसार या संविधानके आदेशानुसार केवल अंग्रेजीमें ही काम होना चाहिये।

“सरकार चाहती है कि जिस भाषाका अपयोग किया जाय वह यथासंभव सीधी-सादी और आसानीसे समझने लायक होनी चाहिये। कानूनी, पारिभाषिक और असे दूसरे शब्दोंको छोड़कर, जिनके गलत प्रयोगसे गड़बड़ी या गलतफहमी होनेकी संभावना हो, असे प्रचलित शब्दोंका ही अपयोग किया जाना चाहिये, जिन्हें आम लोग आसानीसे समझ लेते हैं। अगर किसी अंग्रेजी शब्द या मुहावरेका हिन्दी या मराठी पर्याय तुरन्त न मिल सके, तो कुछ समयके लिये अस अंग्रेजी शब्द या मुहावरेका प्रयोग करनेमें कोअबी हर्ज नहीं।”

८-९-'५३

(अंग्रेजीसे)

म० प्र०

भूमिदान

(१)

कौन टोकता है शंकसे? चुप रह, चुप, अपलापी। कियाहीन चिन्तनके अनुचर! केवल ज्ञान-प्रलापी। नहीं देखता, ज्योति जगतमें नूतन अुभर रही है? गांधीकी चोटीसे आगे गंगा अतर रही है।

अंधकार फट गया, विनोबामें धरकर आकार, धूम-धूम वेदना देशकी धर-धर रही पुकार।

(२)

ओ सिकतामें चंचु गाड़कर सुखसे सोनेवालो! चिन्तामें सब डाल भाग्य पर निर्भय होनेवालो! पहुँच गयी है धड़ी, फैसला अब करना ही होगा, दो में किसी राह पर पगले! पग धरना ही होगा। गांधीकी लो शरण, बदल डालो मिलकर संसार। या फिर रहो कल्किके हाथों कटनेको तैयार।

(३)

अपनेको ही नहीं देख टुक, ध्यान अधिर भी देना, भूमिहीन कृषकोंकी कितनी बड़ी खड़ी है सेना। बांध तोड़ जिस रोज फौज खुलकर हल्ला बोलेगी, तुम दोगे क्या चीज? वही चाहेगी जो सो लेगी।

कृष्ण दूत बनकर आया है, चरण गहो सम्राट, मच जायगा प्रलय, कहों वामन हो पड़ा विराट।

(४)

पहचानो, यह कौन द्वार पर अधनंगा आया है? किस कारण अधिकार स्वयं बन भिलमंगा आया है? समझ सको यदि मर्म, बुलाये विना दौड़कर आओ, जो समझो तुम अंश अपरका अुसे स्वयं दे जाओ।

स्वत्व छीनकर ऋंति छोड़ती कठिनायीसे प्राण, बड़ी कृपा अुसकी, भारतमें मांग रही वह दान।

रामधारीसिंह ‘दिनकर’

भूदान-यज्ञ

विनोबा भावे

कीमत १-४-०

डाकखाच ०-६-०
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९

हरिजनसेवक

१९ सितम्बर

१९५३

अेक गलतीके खिलाफ दूसरी गलती

सूरत जिले के पारडी तालुके में प्रजा-समाजवादी पार्टी की ओर से अेक आन्दोलन शुरू किया गया है। सरकारी ओर से अुसमें कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है और सारे तालुके में १४४ घारा लागू कर दी गयी है।

पारडी के विस आन्दोलन का संबंध भूमिदान-आन्दोलन से है। तथा अुसके नेता अपने विस आन्दोलन को 'खेड़ सत्याग्रह' नाम से पुकारते हैं। विसलिये अुसके विषय में विचार करना चाहिये।

'भूमध्यी' राज्य के काश्तकारी कानून की वजह से खातेदारों या जमीन-मालिकों में अेक अंसी प्रवृत्ति पैदा हो गयी कि काश्तकारी कानून के कारण सुरक्षित बने हुए काश्तकारों से जितनी बने अुतनी साझे या लगान पर दी हुई जमीन खुद खेती करने के लिये वापिस ले ली जाय। कानून में अंसा करने की गुंजाइश होने से जमीन-मालिकों ने अुसका लाभ अठाना शुरू किया। कहा जाता है कि विस तरीके से पारडी तालुके में काफी जमीन असामियों के पास से जमीन-मालिकों के हाथ में चली गयी।

दूसरी बात यह हुई बताई जाती है कि जमीन-मालिकों ने विस तरह वापिस पायी हुई जमीन पर अनाजकी खेती कम करके या बन्द करके धास अुगाना शुरू किया। अुसमें भी अन्हें मुनाफा तो होता ही है। विसके अलावा, वे दो तरह से विशेष निश्चित रहते हैं: (१) धास पैदा करने में कुछ खास अुत्पादन-खर्च नहीं करना पड़ता; (२) मजदूरों की गरज कम हो गयी है। कुल मिलकर विसमें जमीन-मालिकों को सफलता मिली और किसानों का धंधा छिन गया।

अनाजकी पैदावार कम करके जमीन में धास पैदा करना काश्तकारी कानून या सरकारी जमीन-संबंधी आजकी नीति के अनुसार सही है या गलत, यह अेक सवाल है। विस संबंध में सरकार को खातेदारों से जवाब तलब करना चाहिये।

धास भी ढोरोंके कामकी चीज तो मानी जायगी। लेकिन अनाजकी तंगी के बक्त अनाज पैदा करने वाली जमीन में अनाज के बदले धास पैदा करना ठीक नहीं माना जा सकता। फिर भी बताया जाता है कि पारडी के खातेदारों का पिछले कुछ वर्षों से विसी तरह का रवेया रहा है। यह स्पष्ट है कि विसके फलस्वरूप किसानों में वेकारीके प्रश्नने अुग्र रूप धारण कर लिया। विसे कैसे हल किया जाय, यह सरकार और जनता दोनों के लिये चिन्ताका विषय बन गया।

अंसी स्थिति में प्रजा-समाजवादी पार्टीने 'खेड़ सत्याग्रह' नाम से अेक आन्दोलन शुरू किया। तेलंगाना में भूमिहीनों की अंसी हालत देखकर श्री विनोबाने भूमिदान-यज्ञ की सीधा और शांतिपूर्ण हल सुझाया था। समस्याका यह हल लोगों को पसन्द आया और आज विस तरीके से देशव्यापी आन्दोलन शुरू हो गया है। यह तरीका पारडी में भी आजमाया जा सकता है। प्रजा-समाजवादी पार्टी के नेता श्री जयप्रकाशनारायण हालमें ही पारडी तालुके में और सारे गुजरात में भूमिदान-आन्दोलन को बेग देने के लिये आये थे। अन्होंने यह कहा कि विस नीतिको जोरों से आगे बढ़ाना चाहिये; विस रास्ते चलकर हम अेक बड़ा सवाल शांति से हल करके देशमें बहुत बड़ी कान्ति कर सकेंगे। यह तो साफ है कि पारडी का

'खेड़ सत्याग्रह' आन्दोलन भूमिदानकी विस नीति पर नहीं खड़ा है। अुसके नेता भी यह बात स्वीकार करते हैं। अुनका यह दावा है कि यह आन्दोलन अुससे आगे बढ़ा हुआ सत्याग्रह है। विसका अर्थ यह है कि अन्हें भूमिदान-यज्ञ निष्फल मालूम हुआ।

विसके अलावा, सत्याग्रहका पहला सिद्धान्त यह है कि किस बातके लिये सत्याग्रह किया जाय और किसके खिलाफ वह किया जाय, विन दोनोंकी स्पष्टता होनी चाहिये। और ये दोनों चीजें लोगोंकी निगाहमें अचित होनी चाहिये; या अुनका औचित्य समझानेके लिये लोगोंको शिक्षा देनी चाहिये। औसा करनेके बाद यदि नरम वैधानिक तरीकोंसे काम लेने पर सवाल हल न हो, तो शांतिके अमली अुपायको आसारा लिया जा सकता है। विस वृष्टिसे पारडीके आन्दोलनको देखनेसे क्या मालूम होता है?

बैसा कहा जाता है कि अभी तुरन्त ५००० अेकड़ जमीन धासकी खेतीसे निकालकर किसानोंको दी जानी चाहिये। अुसके लिये जोरदार भूमिदान-आन्दोलन खड़ा करनेके बजाय किसानोंमें बैसा प्रचार किया गया कि तुम सब मिलकर धासकी जमीन पर जाओ और अुसे जोतने लगो। यानी जमीनका कब्जा लेकर अुस पर खेतीका काम शुरू कर दो। मौसम, वक्त और साधन वर्गीराको देखते हुवे विस समय जमीन जोतनेसे तात्कालिक कोवी फसल मिल सकती है या नहीं, यह अेक अलग सवाल है। लेकिन यह कदम खातेदारोंके खिलाफ माना जायगा। और वह विस तरह कि भूमिहीन लोगोंकी टोलियां जमीन पर कब्जा करनेके लिये दौड़ पड़ें, जिससे खातेदारों पर अंसा दबाव पड़े कि वे जमीन दे दें या छोड़ दें। अथवा विसके पीछे आन्दोलनकारियोंकी यह धारणा रही हो कि विस प्रकार लोगोंकी भावनाको अुत्तेजित करनेवाला जोरदार प्रदर्शन किया जाय, तो सरकार पर अुसका असर पड़ेगा और वह कानूनके बल पर काश्तकारोंको जमीन दिला देनी। यदि विस तरहकी कुछ भोली समझ या अनुमानसे पारडी-आन्दोलन शुरू किया गया हो, तो यह साफ है कि वह भूमिदान-यज्ञके सिद्धान्तोंसे भिन्न नीति पर खड़ा माना जायगा। साथ ही यह भी कहना होगा कि अुसमें सच्चे सत्याग्रहकी मुख्य शर्तें पूरी नहीं होतीं। वह आन्दोलन सीधा खातेदारोंके खिलाफ नहीं कहा जा सकता और फिर भी वह अन्हें छूता है; अंसी तरह वह सीधा सरकारके खिलाफ भी नहीं शुरू किया गया, यद्यपि सरकारको भी वह छूता अवश्य है। खातेदारोंकी जमीनमें प्रवेश करनेसे कानूनका भंग होता है, लेकिन यह कहना कठिन है कि वह सविनय कानून-भंग है। विस कारण सारा आन्दोलन प्रदर्शन करनेकी अेक हलचल जैसा बन गया है। सत्याग्रह विससे कहीं गंभीर चीज है। विसलिये पारडी-आन्दोलनको सही मानोंमें सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता।

दूसरे, आज यह विवादका विषय नहीं रहा कि भूमिहीनोंको भूमि मिलनी चाहिये। सरकार भी अंसा चाहती है; लोग भी भूमिदानको पसन्द करते हैं। अंसी हालतमें कौनसे सत्यको सिद्ध करनेके लिये आग्रह किया जाता है? यह कहा जाता है कि काश्तकारोंकी जमीन गलत तरीकोंसे छीन ली गयी है, जिसकी जांच होनी चाहिये। खेड़ सत्याग्रहके पीछे जो मांग है, अुसका विचार करनेसे तो अुलटी अुलझन बढ़ती है, घटती नहीं। अंसी जांच जरूरी मालूम हो तो अुसके लिये व्यवस्थित मांगका आन्दोलन खड़ा करना चाहिये। धारासभाका आसारा लिया जा सकता है। यदि अंसी लगे कि खातेदारोंने जमीनों पर गैरकानूनी ढंगसे कब्जा कर लिया है, तो अदालतोंका आसारा भी लिया जा सकता है। अथवा अन्तमें जिन किसानोंकी खातेदारोंकी कार्रवाईका शिकार बनना पड़ा हो, वे अपना कब्जा न छोड़ें और सत्याग्रह

कर सकते हैं। लेकिन पारडी-आन्दोलनमें ऐसा कुछ हुआ मालूम नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टीके कार्यकर्ता भूमिदान प्रवृत्तिमें जुड़कर काम करते थे, असके बदले अन्होंने यह नीति क्यों अस्तियार की, असमें सत्याग्रह कहां आता है और अससे क्या लाभ होगा, यह समझमें नहीं आता।

जनताको अब यह देखना है कि बेकार किसानोंको अिस तरहके गलत आन्दोलनमें पड़नेसे कोअी नुकसान न हो। अतावलीमें या पूरे विचारके बिना किये जानेवाले सत्याग्रहसे नुकसान होता है; अिस नुकसानसे अन्हों बचाना चाहिये। काश्तकारी कानूनमें रही किसी खामीका अगर दुरुपयोग किया जाता है, तो सरकारको असे दूर करना चाहिये। खातेदारोंको भी यह समझ लेना चाहिये कि श्री विनोबाकी शांत प्रवृत्तिकी अपेक्षा करना अब अन्हों पुसायेगा नहीं। अगर अन्होंने अपनी जमीनमें अनाजकी खेती करना बन्द कर दिया हो तो यह अनुचित है। बरसेसे अपने साथ रहे काश्त-कारोंका अिस तरह धंधा छीन लेनेसे अन्तमें अन्हों भी नुकसान ही होगा। वे अपनी जमीनको अिस तरह पड़ती-जैसी नहीं बना सकते। यदि ऐसे करें तो जमीन पर अनका मालिकी हक भी क्यों रहना चाहिये? वे अपने अिस हकका अपयोग जब तक समाजके हितमें करें, तभी तक वे अिसका अपयोग कर सकते हैं। सबके सुर्खमें अनका सच्चा सुख समाया हुआ है, यह अटल सामाजिक न्याय है। अिसे यदि भुला दिया जाय, तो पारडीके जैसे आन्दोलनोंको बिना कारण मौका मिल जाता है और अिस तरह अेक गलतीके खिलाफ दूसरी गलती होती है। लेकिन अिससे गलती दुगनी ही होती है; पहली गलती सुधरती नहीं। दोनों गलतियां दूर हों और शांति तथा समझदारीका रास्ता लिया जाय, यही सच्ची नीति है। अिसी नीतिकी तरफ खातेदारों और काश्तकारोंको मोड़नेमें लोकहित निहित है।

११९-'५३

(गुजरातीसे)

मानभाऊ देसाऊ

आत्म-लोकवासी किशोरलालभाऊ

पूज्य किशोरलालभाऊ आत्म-लोकवासी हुए, अस घटनाको अब अेक साल हो रहा है। जैसा मैंने अस प्रसंगमें कहा था, हमारे बंधन-रहित बंधु-मंडलमें वे स्नेहनका कार्य करते थे। अपने अगाध स्नेहकी वर्षा हम पर करके वे निज-लोक सिधारे।

अनके जानेके बाद बंधु-जनोंने अपनी जिम्मेवारीका विशेष अनुभव किया। चांडिलमें अिकट्ठे हुये बहुत सारे भाऊ-बहनोंको सूक्ष्म भावमें अनकी अपस्थितिका अनुभव हुआ। वहां लोगोंने अेक बड़ी बात तय की। 'चरखा-संघ' सर्वसेवा-संघमें विलीन हुआ, जिससे सर्वोदय-समाजकी जिक्र बढ़ी। अब रचनात्मक काम करनेवाले दूसरे संघोंके लिये भी रास्ता खुल गया है। मेरा विश्वास है कि वे भी काल-ऋण विलीन होनेका मार्ग शोधेंगे। अहिंसा टुकड़ोंमें काम नहीं करती है। वह तो अखंड, अेकरस है। वेदोंने असे ही "अदिति" नाम दिया है।

किशोरलालभाऊके स्मारकके लिये पैसा अिकट्ठा करनेकी कल्पना कुछ मित्रोंने की थी। मैंने यह कल्पना पसंद नहीं की। मैंने कहा, गांधीजीके नामसे हमने निष्ठ अिकट्ठी की, वह बात भी किशोरलालभाऊको बहुत रुची नहीं थी। मुझे भी वह नहीं जंची थी। लेकिन हमारे बुजुर्ग नेताओंने निष्ठिके लिये वैसी जाहिर धोषणा की, तो हमने भिन्न आवाज अठाना ठीक नहीं समझा। पर अब हम पैसा अिकट्ठा करनेका अध्याय वहीं समाप्त समझें, तो नये अध्याय लिखनेके लिये स्फूर्ति मिलेगी। सार्वजनिक अपयोगके खयालसे ही इन्हों न हो, परिग्रह-वृत्तिको हम बढ़ावा

न दें, तो हमारे लिये पराक्रमकी नभी राह खुल जायगी और हमारे कार्यकर्ता तेजस्वी और प्रतिभावान् बनेंगे।

लोगोंको मालूम है कि भूदान-यज्ञकी पूर्तिमें हमने संपत्ति-दान-यज्ञ चलाया है। लेकिन असमें हम पैसेके संग्रहसे मुक्त रहते हैं। पैसा दाताके पास रहता है, दान-पत्र हमारे पास रहता है। दाताको हमारे निर्देशके अनुसार सर्व करना होता है। असका हिसाब भी असको रखना होता है। वह हिसाब समाजके सामने वह पेश करता है। अेक-मुश्त दान देकर वह मुक्त नहीं हो जाता, बल्कि आजीवन अपनी संपत्तिका अेक निश्चित हिस्सा देता है। यह कल्पना अगर हम देशभरमें प्रचारित कर सकें, तो घर-घरमें गरीबोंके कामके लिये बैंक खुल जायगी और अपरिग्रही ताकत परिग्रहसे लाख गुना अधिक है, अिसका हमें दर्शन होगा। मैं जान-बूझकर यह काम आहिस्ता-आहिस्ता कर रहा हूँ, क्योंकि अिसमें अेक जीवन-निष्ठा बनानेकी बात है। वैसे संपत्तिदान-यज्ञकी जरूरत जबसे भूदान-यज्ञ चला, तभीसे महसूस हो रही थी। पर मैंने 'अेक साधे सब सधे' कवीरके अिस वचनके अनुसार आरम्भमें भूदान-यज्ञ पर ही जोर देना पसन्द किया। असमें कुछ प्रगति होनेके बाद बिहारमें संपत्ति-दानका अपरिग्रही विचार लोगोंके सामने रखा। असमें श्री किशोरलालभाऊकी स्मृति मुझे चेतना दे रही थी।

चांडिलमें सर्वोदय-प्रेमी सुहृद-जनोंते महसूस किया कि भूदान-यज्ञको सफल करना है तो "तीरे भूभा जुओ तमाशो" वाली बात अब नहीं चलेगी, असमें सबको कूद पड़ना ही होगा। और तबसे भूदान-यज्ञका जोश कुछ बढ़ा। अिसमें भी किशोरलालभाऊकी स्मृति काम कर रही है, असा मैं देखता हूँ। जब वे जीवित थे, कहते थे: "अगर मेरा शरीर लायक होता, तो मैं भूदान-यात्रामें गांव-गांव घूमता।" वे शरीरसे तो नहीं घूमते थे, लेकिन दूसरे जो घूमते थे, अनका मन और प्राणसे साथ देते थे और मातृ-स्नेहसे बचाव कर लेते थे। अनके आशीर्वादसे भूदान-यज्ञ आगे बढ़ रहा है और अहिंसामें विश्वास रखनेवाले भाऊ-बहनोंको नवीन आशा दे रहा है।

किशोरलालभाऊ स्थूल स्मारकोंमें मानते नहीं थे। मैं तो असे स्मारकोंको 'विस्मारक' ही नाम देता हूँ। अभी मैं नालंदा गया था। वहां पुराने बौद्ध विद्यापीठके खंडहर देखे, जिनमें अेक मूर्तिके पांवके नीचे शंकर-पार्वतीको रखा है। मूर्तिकारने असे बौद्ध-धर्मका स्मारक समझा था। लेकिन वह विस्मारक सावित हुआ। असी कठी मिसालें दी जा सकती हैं। 'स्थूल स्मारक' 'विस्मारक' ही नहीं, बल्कि कठी मृत्त्वा 'अप-स्मारक' भी हो जाते हैं। अिसलिये गुण-स्मरण, गुण-चित्तन और गुणानुसरण ही सच्चा स्मारक हैं, असा समझकर हम सब धर्माचरण करते चले जायं, तो सब ऋषियोंका अससे सहज तर्पण होगा।

पड़ाव: बरहट, बिहार ११९-'५३

विनोबा

(‘सर्वोदय’ से)

किशोरलाल मशरूवालाकी पुस्तकें

जीवनशोधन

कीमत ३-०-०

डाकखंच ०-११-०

जड़मूलसे क्रान्ति

कीमत १-८-०

डाकखंच ०-६-०

स्त्री-पुरुष-सर्वादा

कीमत १-१२-०

डाकखंच ०-६-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९

हाथ-कागज

[१९५३-५४ के लिये योजना]

देशमें हाथ-कागजका अद्योग कहां कितना चल रहा है, जिसके विषयमें ठीक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। यिस अद्योगके मौजूदा केन्द्रोंमें से ११ ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जहां काम कर रहे कागदियोंकी कुल संख्या १०५५ है।

चाँकि यह अद्योग कभी तरहके कागज — अदाहरणके लिये, कानूनी दस्तावेजोंके जरूरी कागज, स्टेम्प-पेपर, ड्राइंग-पेपर, फिल्टर-पेपर (छाना-कागज), मढ़नेके लिये पुट्ठे आदि — का निर्माण कर सकता है, जिसलिये यिसका विकास करनेकी बड़ी आवश्यकता है।

समस्याओं

विदेशसे आयात किया जानेवाला दस्तावेजोंका कागज, ड्राइंग-पेपर, फिल्टर-पेपर आदि स्वदेशी कागजकी यिस किस्मोंके साथ होड़ करता है।

मौजूदा केन्द्र जल्दीसे जल्दी यितना बढ़िया माल तैयार करने लगें जो युसी तरहके विदेशी मालकी जगह ले सके, यिसके लिये अन्हें अपयुक्त साधन मुहैया करने पड़ेंगे और शास्त्रीय तालीम भी देनी पड़ेगी। चीन और जापानमें बरसाती कोट, खिड़कियोंके परदे, छाते आदिके अपयोगमें आनेवाला कागज बनाया जाता है; वैसा कागज हमारे यहां तैयार हो सकता है या नहीं, यिसकी जांचके लिये शोध करनेकी आवश्यकता होगी।

कागज-अद्योगके लिये मुख्य केन्द्रोंको, जहां अद्योग कारीगर-वर्गके मजदूरोंके जरिये चलाया जाता है, विकसित करनेका हमारा अिरादा है। यिन लोगोंको आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिके विषयमें मदद और मार्गदर्शन करनेकी आवश्यकता है, ताकि वे कागजकी अनु किस्मोंका अन्तादन कर सकें, जो अभी अपनी विशेषताओंके कारण बाहरसे बुलायी जाती हैं।

यिन केन्द्रोंमें कुछ खास किस्मके कागजोंका अन्तादन करवाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यिन किस्मोंकी अपनी विशेषताओं हैं और वे वाजारमें अपने गुणोंके बल पर टिक सकती हैं।

सांगनेर (राजस्थान) और औरंगाबाद कागज-अन्तादनके सबसे बड़े केन्द्र हैं। यिन दोनों जगहोंमें एक-अंक कागज विशेषज्ञ रखनेकी बात सोची गयी है। केन्द्रीय दफ्तरके कर्मचारियों द्वारा दूसरे केन्द्रोंको भी कागज-निर्माणके विषयमें वैज्ञानिक सलाह मिलती रहेगी।

योजनाका एक ध्येय यह भी है कि कागज-निर्माणका अद्योग माध्यमिक शालाओंमें दाखिल कर दिया जाय। सन् १९५३-५४ में अूपर यिन केन्द्रोंका अलेख हुआ है, अनमें से १० केन्द्रोंके आसपास केन्द्रवार ५ स्कूलोंके हिसाबसे कागज-निर्माणका काम दाखिल कर दिया जायगा। प्रथेक स्कूलको ₹० ५०० की ग्रान्ट दी जायगी; ₹० ४०० साधन-सामग्रीके लिये और ₹० १०० शिक्षकोंको तीन माह तक कागज बनानेकी तालीम देनेके लिये।

अनुसंधान और अलग-अलग केन्द्रोंके कामको संयोजित करनेके लिये एक केन्द्रीय संस्थाकी स्थापना की जायगी। असके काम निम्न-लिखित होंगे:—

- (१) हाथ-कागजके विकासके लिये व्यवस्था करना,
- (२) अनुसंधान और तालीमके काममें मार्गदर्शन करना और सलाह देना,
- (३) यिस अद्योगकी अन्नति करना और समय-समय पर जो कठिनायियां पैदा हों अहं सुलझानेमें मदद करना,
- (४) हाथ-कागज अद्योगसे संबंधित आंकड़े और जानकारी विकटी करना और मालकी अच्छाओंकी कायम रखना,

(५) हाथ-कागज द्वारा सरकारकी जरूरतें पूरी करनेकी व्यवस्था करना।

[अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रकाशित बुलेटिनसे।]
(अंग्रेजीसे)

रेलवे-विभागमें अनीति

हमारे देशमें शहरों और शहरोंसे संबंध रखनेवाले लोगोंके लिये अब रेलवेका अपयोग लाभग्राहक अनिवार्य बन गया है। यिसलिये रेलवे और असकी व्यवस्था शहरी समाजकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो गयी है। भारतके लोकसत्तात्मक राज्य होनेसे रेलवेका राष्ट्रीयकरण करीब-करीब पूरा हो गया है और रेलवे अब देशकी एक संपत्ति मानी जाने लगी है।

लेकिन साथ ही यह बात भी स्पष्ट है कि अनीतिके भिन्न-भिन्न मार्गोंको अनुत्तेजन देकर लोक-जीवनकी नीतिका स्तर गिरानेमें और युसे मदद देनेमें रेलवेका काफी हाथ रहा है। और मुझे लगता है कि यदि जनताका जाग्रत वर्ग यिस दिशामें जागरूक नहीं रहा तो यह डर है कि रेलवे, जो अब अनिवार्य अंग बन रही है, भविष्यमें अराजकता फैलानेमें भारी मदद करेगी। दुर्भाग्यसे प्रजाकी ओरसे रेलवे अधिकारियोंकी आंख खोलनेके लिये किये जानेवाले प्रयत्नोंकी ओर आम तौर पर रेलवे-विभागने बिलकुल ध्यान ही नहीं दिया है। परिणामस्वरूप प्रेजाको अन्याय और अप्रामाणिकताकी ओरसे आंखें बन्द कर लेनेकी आदत पड़ गयी है। यहां मैं एक मिसाल देता हूँ:—

पिछली ता० १६-८-५३ को सुबह ९ बजे मैंने अहमदाबाद स्टेशन पर, जहां यह बताया गया है कि तीसरे दर्जेके टिकटकी एक खिड़की २४ घंटेके लिये खुली रहती है, रातकी गाड़ीके लिये टिकट लेनेको आदमी भेजा। वह आदमी यह जवाब लेकर वापस आया कि तीसरे दर्जेका टिकट रिज़वेशनके साथ शामको साढ़े सातके बाद मिलेगा। यह व्यवहार तीसरे दर्जेकी लंगी मुसाफिरी करनेवाले यात्रियोंको खुले रूपमें दी गयी सुविधाके खिलाफ था, और यिसलिये वह मुझे बहुत अजीब मालूम हुआ। मैंने रेलवे-अधिकारियोंको फोन किया। थोड़ी बक्सकके बाद जवाब मिला, “आदमीको फिरसे भेजकर टिकट मंगा लीजिये।” मैंने यिस व्यवहारके खिलाफ सख्त विरोध प्रगट किया और बताया कि युससे मुझे कितनी परेशानी हुआ है। यिस पर अकेदम अत्तर मिला, “आपके आदमीने बताया होता कि वह . . . की तरफसे आया है, तो टिकट तुरंत दे दिया जाता।” यिस जवाबसे मुझे और भी ज्यादा आधात लगा। रेलवेने जो सुविधा देना तय कर लिया है, यदि युसे पानेके लिये भी अपने व्यक्तिगत प्रभावका अपयोग करनेकी जरूरत पड़े, तो निश्चय ही युसका लाभ गरीब जनताको नहीं मिल सकता। ऐसे दुःखद अनुभव तीसरे दर्जेके यात्रियोंके लिये रोजकी चीज हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि युन्हें यिस तरहके दुर्व्यवहारके खिलाफ शिकायत करनेकी आदत नहीं है। रेलवेकी सलाहकार समितियोंके सदस्यों तथा यिस प्रश्नमें रस लेनेवाले दूसरे लोगोंसे मेरा नम्र अनुरोध है कि वे तीसरे दर्जेके यात्रियोंके यिन कठिनायियोंके प्रति ज्यादा सावधानी दिखावें। यिसके सिवा, रेलवे-अधिकारियोंको मेरी नम्र सूचना है कि वे कुछ खास लोगोंको विजिटर्सकी तरह चुनें, और ये लोग रेल-यात्रियोंकी यिन कठिनायियोंके विषयमें जो शिकायत करें, युसे दूर करनेके लिये तत्काल कदम अठाये जायें।

यदि जनता और रेलवे-अधिकारी यिस विषयमें गंभीर ध्यान नहीं देंगे, तो मुझे डर है कि अनीतिका यह बढ़ता हुआ रोग समाज-जीवनको अधिक कल्पित कर देगा।

(गुजरातीसे)

परीक्षितलाल मजमूदार

सेनामें शराबकी बुराई

अेक बहनने मुझे नीचे लिखी चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी महत्वपूर्ण है, अतः उसे लोगोंके विचारार्थ प्रकाशित करता हूँ:

“कोरिया जानेवाली हमारी कस्टोडियन सेनाको दिया हुआ आपका अुपदेश मैंने विशेष ध्यानसे सुना, क्योंकि जानेवालोंमें मेरे पति भी हैं। आपका दिया हुआ संदेश अब अनेक संदेशोंमें, जो यिस यात्री-दलको जानेके पूर्व प्राप्त हुओ हैं, सर्वोत्तम था। अुसमें अत्मीयता और झेमका भाव था। लेकिन अगर आप अनुमति दें, तो मैं कहता चाहती हूँ कि यिस संदेशमें आपने शराबका जिक्र भी कर दिया होता, तो यिस अवसरके लिये वह और ज्यादा अुपयोगी बन जाता। कितना अच्छा होता अगर आप अनुहृत्ये यह सलाह देते कि वे शराबसे पूरा परहेज न रखें, तो कमसे कम अुसमें मात्राकी मर्यादा अवश्य रखें। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब वे अेक शान्तिमय कामके लिये जा रहे हैं, तब भी अनुहृत्ये अपनी ताजगी बनाये रखनेके लिये शराबकी जरूरत है? शराब हमेशा सबसे बड़ी बुराई रही है और आज भी है। शराबने आज तक जितने घरोंका नाश किया है, अुतना किसी दूसरी चीजने नहीं। जिन स्त्रियोंके पति शराब पीते हैं, ऐसी सारी दुनियाकी हजारों-लाखों स्त्रियोंका सुख और जीवन यिस शराबके ही कारण नष्ट हुआ है। आजकल दुनियामें जो अपराध या आकस्मिक विपर्तिकी दुर्घटनायें होती हैं, अनुमें ज्यादातर शराबके कारण ही होती हैं। सेनाके लोगोंमें यिस व्याधिकी जड़ बहुत गहरी फैली हुई है। शराबबन्दी सेनामें क्यों नहीं लागू की जा सकती? मैं तो अवसर यह आशा करती हूँ कि ऐसा होगा। जब सेनाके लोग देशके बाहर जाते हैं, तो शराब अनुहृत्ये बहुत सस्ते दाममें मिलती है, और वहां अनुहृत्ये कोओर रोकनेवाला भी नहीं होता। यिसका परिणाम यह होता है कि वे अुसे अुचितसे ज्यादा मात्रामें लेते हैं और अपने स्वास्थ्यकी हानि करते हैं। अुससे केवल स्वास्थ्यकी हानि होती है, यितना ही नहीं, वह प्राणोंके लिये भी खतरनाक है। क्योंकि ज्यादा शराब पीनेके बाद आजकल अपने विचारों या कार्योंकी संबद्ध योजना नहीं कर सकता। वह न तो ठीक-ठीक विचार कर सकता है, और न ऐसा कोओर कार्य, जिसमें सोच-विचार और योजनाकी आवश्यकता होती है। अदाहरणके लिये, वह मोटैर नहीं चला सकता। लेकिन हकीकत यह है कि शराबकी पार्टियोंके बाद सेना-विभागमें काम करनेवाले पदाधिकारी हमेशा खुद ही मोटर चलानेका आग्रह रखते हैं। रात अंधेरी हो, तो मनकी ऐसी मत्त अवस्थामें गाड़ी चलानेमें कितना खतरा है, यह आप खुद ही सोचियेगा। लेकिन ठीक ऐसे भौंकों पर ही अनुहृत्ये यह खयाल हो जाता है कि अनुहृत्ये बहुत अच्छा मोटर चलाना आता है, और वे अपनी जानकारी तथा अभ्यासका बिना कोओर खयाल किये अुसे तेजीसे दौड़ते हैं।

“यिस खतरेके सिवा, अुसमें अेक और खतरा भी है, जो अुतना ही या अुससे ज्यादा भयंकर है। आपने अपने अुपदेशमें अब लोगोंसे यह तो कहा कि वे स्त्रियोंकी तरफ न देखें, लेकिन यह नहीं कहा कि साथ ही वे शराब भी न छुओं। अगर वे शराब पीते हैं, तो आपके अुपदेशका अब पर कोओर असर नहीं होगा। शराबके ही कारण अब का मन स्त्रियोंकी ओर जाता है; और अगर किसी व्यक्तिने शराब पी हो, तो अुसे वैसा करनेसे रोका नहीं जा सकता। हम कल्पना करें कि यिसके दुष्परिणाम कितने

दुःखद होते हैं। सब आदमियोंमें न तो यितनी संकल्प-शक्ति होती है और न अपनी स्त्रियोंके प्रति यितनी वफादारी कि वे सदाचारका पूरा-पूरा पालन करें। यिसके सिवा, वे अीश्वरसे डरनेवाले भी नहीं होते।

“यिसके कारण पैसेका अनाप-शनाप खर्ब होता है; जिस पैसेका सदुपयोग अनेक दूसरी बातोंमें हो सकता था, वह शराब आदि पर अड़ाया जाता है।

“आप तो यह सब जानते हैं, लेकिन तब भी आपका भाषण सुनने पर मुझे यह सब कहनेकी अच्छा हुझी और मैं अपनेको रोक नहीं सकी। मैंने आपको सीधे पत्र लिखनेकी जो ढिठाई की है, अुसके लिये आप क्षमा करेंगे।”

यिसके बाद लेखिकाका अेक दूसरा पत्र भी आया:

“आपके जवाबकी मैंने कोओर आशा नहीं की थी, यिसलिये जब वह आया तो मैंने बहुत गौरवका अनुभव किया। मुझे तो लगता था कि आपका भाषण अधूरा था — मेरे यिस कथन पर आप नाराज होंगे।

“आपका यह सोचना ठीक है कि मेरे पत्रके पीछे संवेदनाकी गहराई है। आप खयाल कर सकते हैं कि मनमें कितने दुःख और आशंकाका बोझ रखते हुओ मैंने अपने पतिको बिदा दी।

“मैं ऐसी कितनी ही दूसरी स्त्रियोंको जानती हूँ, जो यिस शराबके बारेमें मेरी ही तरह सोचती हैं।

“मेरा नाम प्रगट किये बिना, आप मेरी चिट्ठीका अुपयोग अवश्य कर सकते हैं।

“मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि आपकी मदद और प्रभावके फलस्वरूप हमारे देशसे, और खासकर सेनामें से, शराबकी यह बुराई बिलकुल निर्मूल हो जाय।”

मद्रास, २९-८-'५३
(३१-८-'५३के 'हिन्दू' से)

च० राजगोपालचार्य

अहिंसक माझू-माझू प्रतिज्ञा

बड़े प्राचीन कालसे अफ्रीकाका महाद्वीप गुलामोंकी खान रहा है। पहले वे पकड़ लिये जाते थे और फार्मों तथा बगीचोंमें काम करनेके लिये बाहर भेज दिये जाते थे, जिनके मालिक अनुकी परवरिश करते थे और गुलामोंको कुछ होने पर अनुके लिये पैसेका नुकसान भी अठाते थे। आजकल यिस चीजने और भी आसान और सीधा रूप ले लिया है। अब बगीचे और बगीचोंके मालिक गुलामोंकी खानमें ही पहुँच गये हैं और गुलामोंको खाना, कपड़े तथा आसरेके बजाय थोड़ीसी मजदूरी दे दी जाती है। जब अफ्रीकी लोग गुलामीके कामकी भीख मांगने नहीं आते, तो अनुके छोटे-छोटे खेत अनुसे छीन लिये जाते हैं, अनु पर अनेक तरहके कर लादे जाते हैं और अनुकी हलचल पर ऐसी कैद लगा दी जाती है कि अनुके लिये गुलामी और मौतके बीच चुनव करनेके सिवा कोओर चारा ही नहीं रह जाता।

आजका गोरा अफ्रीकाको पूरी तरह गोरोंसे ही नहीं भर देना चाहता। ऐसा करनेसे अुसे कोओर लाभ नहीं होगा। वह सस्ते अफ्रीकी मजदूर चाहता है, क्योंकि अनुके बिना अुसका सारा आर्थिक ढांचा टूटकर चूर-चूर हो जायगा।

यिसलिये अफ्रीकी लोगोंकी मुक्तिके लिये यिसके सिवा और कोओर रास्ता नहीं है कि वे मजदूरी लेकर काम करनेसे बिलकुल अन्कार कर दें। आज हर अफ्रीकीकी अेकमात्र प्रतिज्ञा, जो अफ्रीकामें सारी जातीय असमानताका अत्त कर देगी और हर अफ्रीकी पुरुष, स्त्री और बच्चेको आजाद बना देगी,

यह होनी चाहिये: "मैं किसी मालिककी गुलामी नहीं करूँगा।" अिसका अर्थ भूखों मरना नहीं है। अिसका अर्थ अपने खेत पर, अपने कारखानेमें परिवारके साथ या छोटे-छोटे सहकारी दलोंके रूपमें काम करके खुदको रोजी देना है।

बेशक, अिस प्रतिज्ञा पर अमल करना कठिन है। अफीकियोंको फुसलाकर, सताकर, घूस देकर या धमकाकर अनुसने पैसेके बल पर काम लेनेका हर तरीका अस्तियार किया जायगा। लेकिन अनुकी अिस प्रतिज्ञामें स्वाभाविक गौरव, अपने बल पर अेक मौन आत्म-विश्वास है। अिसके लिये किसी प्रकारके द्रवावकी जरूरत नहीं है, यह हिसासे सर्वथा मुक्त है। अेक आदमी भी अिसका रास्ता दिखा सकता है; अेक छोटासा ज्ञान विशाल नदीका रूप ले सकता है। यह असा सही और शुद्ध साधन है, जो अनिवार्य रूपसे अुत्तम परिणाम ला सकेगा।

(अंग्रेजीसे)

मॉरिस फिडमैन

देशान्तरवास और जातीयतावाद

"नैरोबी, २७ अगस्त, १९५३—केन्याके युरोपियन लोगोंने आज यह प्रस्ताव किया कि अगले पांच सालमें अिस ब्रिटिश अुपनिवेशमें ३०,००० अतिरिक्त युरोपियनोंको बसाया जाय और अेशियावासियोंके बसने पर रोक लगायी जाय।

"युरोपीय निर्वाचिकोंके मण्डलने अपने वार्षिक संमेलनमें अेक प्रस्ताव पास करते हुए कहा कि केनियाके युरोपीय वर्गकी सुरक्षा अिसी बातमें है कि अब भारतीयोंको वहाँ और प्रवेश न करने दिया जाय तथा अुपनिवेशका विकास सिर्फ गोरे लोगोंकी वस्तीके रूपमें किया जाय। यह मण्डल करीब २०,००० युरोपियन लोगोंका प्रतिनिधित्व करता है।" — रायटर

झूपर दी हुई खबर कभी दृष्टियोंसे विचारणीय है। अेक वह अफीकाके अुस कुण्ड महाद्वीपमें रंगभेद पर आश्रित विभिन्न जाति-समुदायोंके बीच भावी युद्धकी आशंकाका निर्माण करती है। अन्यथा वहाँ बसनेवाली जनताका अेक बहुत ही छोटा वर्ग वाकी लोगों पर अपनी अेकदम अन्यायपूर्ण नीति कैसे लाद सकता है? पूर्वी अफीकाकी कुल जनसंख्या १,८१,००,००० है, जिसमें गोरोंकी संख्या सिर्फ ४४,००० के आसपास है। केनियामें ३०,००० युरोपियन हैं, १०,००० भारतीय, २४,००० अरब और पचास लाख अफीकानिवासी हैं। केनियामें बसे हुए अेक लाखसे ज्यादा अेशियावासियोंकी स्थिति बिचौनियों जैसी है। वे सत्तारूढ़ धनिक युरोपियन वर्गके लिये काम करते हैं। बेचारा अफीकी निर्धन मजदूर है, जिसकी बढ़िया अुपजागू जमीन आनेवालोंने अपने मनमाने कानून बनाकर छीन ली है और अुसे अपने लिये सुरक्षित कर लिया है। अिसके सिवा, अुस पर प्रति मनुष्य पॉल टेक्स लगाया गया, जो सिर्फ सिक्कोंमें चुकाया जाता है और जिसे चुकानेके लिये अुसे बाध्य होकर पैसा कमानेका काम करना पड़ता है। यद्यपि देश अुका ही है, किर भी अुहें अपने ही देशमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने और रखनेके लिये बाध्य किया जाता है, जिस पर अुके अंगूठों और अंगलियोंकी छाप होती है। यह सारी परिस्थिति ख्यालमें रखकर ही हमें अूपर दी गयी खबरका विश्लेषण करना चाहिये।

दूसरोंके प्रति युरोपियन वर्गके अिस व्यवहारका अेक और पहलू भी है और अुसका हमें ध्यान रखना चाहिये। पश्चिमी लोग आजकल हमें लगातार यह अुपदेश करते रहते हैं कि हमारी

संख्या बहुत ज्यादा है, और यदि हम गरीबी तथा भूखका कष्ट सह-सहकर मरना न चाहते हों, तो हमें प्रजोत्सविका नियंत्रण करना चाहिये और अपने बाजार पश्चिम द्वारा प्रस्तुत गर्भ-निरोधके साधनोंकी बिक्रीके लिये खोल देने चाहिये। अफीका और आस्ट्रेलिया आदिमें जनसंख्या बहुत विरल है और अुन देशोंके विकासके लिये यह जरूरी है कि लोग वहाँ बाहरसे जाकर बसें तथा वहाँकी संपत्तिका लाभ अठायें। लेकिन अपने शस्त्र-बलकी अधिकताके आधार पर ये लोग हमें वहाँ जा बसनेसे रोकते हैं। हाँ, वे युरोपियन लोगोंको जरूर वहाँ बसाना चाहते हैं। बाहरसे आकर बसनेवालों पर रंग-भेदकी नीतिसे प्रेरित यह रोक बहुत खराब है। अुसके कारण अेक ओर सुखद आन्तरराष्ट्रीय संबंधोंके निर्माणमें बाधा अुत्पन्न होती है, दूसरी ओर वह बताती है कि पश्चिमके अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियोंका हमें सन्तति-नियमनका अुपदेश करना कितना थोथा है। अुहें यह क्यों नहीं सूझता कि दुनियाके कुछ हिस्सोंमें आबादीके ज्यादा होने और कुछमें कम होनेकी समस्याको हल करनेका सरल अपाय यह है कि किसी आन्तरराष्ट्रीय सत्ताकी देखरेख और व्यवस्थामें ज्यादा आबादीवाले हिस्सोंसे लोगोंको अुचित संख्यामें कम आबादीवाले हिस्सोंमें भेज दिया जाय। लेकिन पश्चिमके लोग अिसके लिये तैयार नहीं हैं। अुलटे, यदि अुनकी अिस स्वार्थपरताके खिलाफ पीड़ितोंमें कोओ प्रतिक्रिया पैदा होती है, तो वे अुसका दुष्टतापूर्वक दमन करते हैं; अुदाहरणके लिये, माझू-माझू आन्दोलनको जिस तरह दबाया गया है, अुसमें माझू-माझूकी सारी बुराओं मौजूद है। अिसी तरह दक्षिण अफीकामें भारतीयोंने सरकारकी नीतिका कुछ विरोध किया, तो अुसने अेसे कानून बनाने शुल्क कर दिये जिससे कोओ अेशियावासी वहाँ रह ही न सके। कहनेकी जरूरत नहीं कि यह न्यायकी भावना और यूनोंके घोषण-पत्रके प्रतिकूल है। अेक अेसे प्रदेशमें, जो अुनका नहीं है और जहाँ अुनकी संख्या कुल आबादीका बहुत कम अंश है, गोरे लोगोंकी यह दुरभिमानपूर्ण मनोवृत्ति दुनियाकी शास्त्रिके लिये बड़ा खतरा है; पूर्व और पश्चिमके संबंध खराब करनेमें वह अेक बड़ा प्रेरक कारण है। हम आशा करते हैं कि केनियाकी सरकार, जो ब्रिटिश कौमनवेल्यका ही अेक हिस्सा है, अुक्त निर्वाचिक मंडलके अिस प्रस्तावको, जो जाति और रंगके अपमानजनक आधार पर प्रजामें भेदभाव करता है, स्वीकार करके अुनकी स्वार्थ-वृत्तिको प्रोत्साहन नहीं देगी।

५-९-५३०

(अंग्रेजीसे)

मगनभाभी देसाभी

| विषय-सूची | पृष्ठ |
|-----------------------------|-------------------------|
| शिक्षा और सेवा | मगनभाभी देसाभी २२५ |
| भूमिदान | रामधारीसिंह 'दिनकर' २२७ |
| अेक गलतीके खिलाफ दूसरी गलती | मगनभाभी देसाभी २२८ |
| आत्म-लोकवासी किशोरलालभाभी | विनोबा २२९ |
| हाथ-कागज | २३० |
| रेलवे-विभागमें अनीति | परीक्षितलाल मजमूदार २३० |
| सेनामें शराबकी बुराओं | च० राजगोपालचार्य २३१ |
| अहंसक माझू-माझू प्रतिज्ञा | मॉरिस फिडमैन २३१ |
| देशान्तरवास और जातीयतावाद | मगनभाभी देसाभी २३२ |
| टिप्पणियां : | |
| बीड़ीका व्यसन और आरोग्य | गोकुलभाभी भट्ट २२६ |
| दृष्टिदान | सोराबजी मिस्त्री २२६ |
| कृत्रिम खाद | म० प्र० २२६ |
| मध्यप्रदेशकी राजभाष्यों | म० प्र० २२७ |